न्यायालयः प्रथम अपर सत्र न्यायाधीश–सह विशेष न्यायाधीश, अररिया।

अग्रिम जमानत आवेदन पत्र संख्या– 85/2026
भरगामा थाना कांड संख्या– 348/2025

मीरा देवी.....आवेदिका
बनाम
राज्य सरकार

आदेश

12-03-2026 आवेदिका/अभियुक्ता मीरा देवी की ओर से अपनी गिरफ्तारी की आशंका के आधार पर बी0एन0एस0एस0 की धारा 482 के अन्तर्गत दाखिल अग्रिम जमानत आवेदन, जो भरगामा थाना कांड संख्या– 348/2025, अंतर्गत धारा– 126(2), 115(2), 109, 303(2), 352, 3(5) भा0न्या0सं0 से संबंधित है, को आवेदिका के विद्वान अधिवक्ता द्वारा प्रचालित किया गया।

अग्रिम जमानत आवेदन पर आवेदिका के विद्वान अधिवक्ता श्री दिनेश प्रसाद सिंह एवं विद्वान अपर लोक अभियोजक श्री राजानंद पासवान को सुना।

संक्षेप में अभियोजन वाद सूचिका विनीता देवी के अनुसार यह है कि, दिनांक 19.10.2025 को समय करीब 8 बजे सुबह में उसका पड़ोसी मीरा देवी, लक्ष्मी कुमारी व राजेन्द्र पासवान ने उसके घर के पीछे लगा हुआ कटहल व आम का पेड़ काटने लगा। उक्त पेड़ काटने से मना करने पर गाली–गलौज किया और राजेन्द्र पासवान ने लोहे का रड से सर पर प्रहार किया, जिसके कारण सर फट गया और काफी खून निकलने लगा और कपड़ा फाड़ दिया। सूचिका को बचाने उसके परिजन आये तो उनलोगों को भी मारपीट किया।

आवेदिका के विद्वान अधिवक्ता का कथन है कि आवेदिका निर्दोष है और कोई घ ाटना कारित नहीं किया है। आवेदिका के द्वारा इस जमानत आवेदन के अलावे अन्य कोई भी जमानत आवेदन न तो इस न्यायालय में और न ही माननीय उच्च न्यायालय पटना में दाखिल किया गया है। आवेदिका का कोई आपराधिक इतिहास नहीं है। आवेदिका को गलत तरीके से इस वाद में फंसाया गया है। अभियोजन की कहानी बिल्कुल गलत एवं मनगढ़ंत है। आवेदिका के ससुर राजेन्द्र पासवान को श्रीमान के न्यायालय से जमानत दिया जा चुका है। उपरोक्त कथनों के साथ आवेदिका के विद्वान अधिवक्ता ने आवेदिका को अग्रिम जमानत की सुविधा प्रदान करने की प्रार्थना किया है।

विद्वान अपर लोक अभियोजक अग्रिम जमानत आवेदन का विरोध करते है।

दोनों पक्षों को सुना एवं अभिलेख का अवलोकन किया, अवलोकन से स्पष्ट है कि जख्मी को मारने का आरोप सह–अभियुक्त राजेन्द्र पासवान पर लगाया गया है। पीड़िता महिला है।

अतः उपरोक्त तथ्यों एवं परिस्थितियों के आलोक में आवेदिका का अग्रिम जमानत आवेदन **स्वीकृत** किया जाता है। आवेदिका को आदेश की तिथि से दो सप्ताह के अन्दर गिरफ्तार होने अथवा न्यायालय में आत्मसमर्पण करने पर रू 10,000/– (दस हजार रूपये) एवं समान राशि के दो प्रतिभूओं के साथ बंधपत्र संबंधित न्यायालय में दाखिल करने पर एवं संबंधित न्यायालय के संतुष्टि पर धारा–482(2) बी0एन0एस0एस0 की शर्तों के अनुपालन करने पर, आवेदिका को अग्रिम जमानत पर मुक्त करने का आदेश दिया जाता है।

(लेखापित)

Sd/-
(मनोज कुमार तिवारी)
प्रथम अपर सत्र न्यायाधीश
सह विशेष न्यायाधीश, अररिया।